न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 27 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 88

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

ओखाराम पुत्र बैसराराम वगैरह — चेतन पुत्र छोगा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 20.02.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व 10 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 9 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय रत्नेश उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 11 व 12 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 29.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जागीरदारी प्रथा खत्म होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ, उस वक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादा व परदादा बेसरा पुत्र रामजी व नवा, महादेवा पिसरान किस्तुरा के नाम खातेदारी आराजी गांव हाडेतर, तहसील सांचौर में पुराने खसरा संख्या 134 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 412 / 178 रकबा 05 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उक्त भूमि आजादी से पूर्व प्रार्थीगण के पुरखों की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, जिनके फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। उक्त पुराने खसरा संख्या 191 में से नवीन खसरा संख्या 604 रकबा 0.25 हैक्टेयर, पुराने खसरा संख्या 412 / 178 में से नवीन खसरा संख्या 595 रकबा 0.19 हैक्टेयर व खसरा नंबर 318मी, रकबा 0.62 हैक्टेयर पुराने खसरा नंबर 134 में से नवीन खसरा संख्या 314 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 318मी रकबा 0.58 हैक्टेयर सृजित किए गए है। उक्त संपूर्ण भूमि में बेसरा पुत्र रामजी का 1 / 2 हिस्सा अर्थात साढे तेरह बीघा हक हिस्सा है तथा [illegible] बीघा में बेसरा के तीनों तारा, ओखा व भला का 1 / 3 प्रत्येका का [illegible] अप्रार्थीगण के साथ मिलकर अपना हक हिस्सा नहीं [illegible] संपूर्ण भूमि पैतृक भूमि है [illegible] विधि विरूद्ध रूप से बेसरा पुत्र रामजी का नाम विलो[illegible] किया गया, जिसकी [illegible] प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 को तहसील कार्यालय सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

चलकर भूमि प्रार्थीगण के नाम करवाने के बयान देने का निवेदन दिनांक 25.05.2017 को किया तो अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 10 ने कहा कि अभी हमें समय नहीं है, समय मिलने पर आपके नाम बयान कर देंगे, लगभग दो साल तक टालमटोल करते रहे तथा प्रार्थीगण के बयान नहीं किये। अत प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावें कि वे वांके सरहद मौजा हाडेतर में स्थित आराजी नवीन खेत खसरा नंबर 604 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 595 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 318मी रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 314 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 318मी रकबा 0.58 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगण के 1/2 हक हिस्सा की भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी बैचान या हस्तांतरण वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 09 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन, मनगंढ़त, झूठा व बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 व 10 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में न तो कोई हक हकूक बनता है तथा न ही कोई कब्जा काश्त ही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाकर प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अतः प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:50 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **29.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner